Date:- 05.03.2023

PRESS NOTE

दुष्कर्म के प्रयास में विफल होने पर की थी 05 वर्षीय बच्ची की हत्या, अभियुक्त घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल सहित गिरफ्तार।

दिनांक 03.03.2023 को औसाफ पुत्र अख्तर निवासी मौ0 चाहरौनक पक्का बाग कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना किरतपुर पर सूचना दी कि दिनांक 03.03.2023 को उसकी 04 वर्षीय पुत्री घर से बाहर खेलने के लिये गयी थी, जो काफी ढूंढने पर भी नही मिली। सांय के समय करीब 18.30 बजे मौहल्ले में ही छत पर पतंग उडा रहे छोटे बच्चों

द्वारा मौ0 मुगलान में खण्डहर पडे मकान में किसी बच्ची का शव पडे होने की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस द्वारा बच्ची के शव को पंचायतनामा के उपरान्त पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया, बच्ची की गर्दन पर धारदार हथियार से वार किये गये थे। प्रभारी पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा स्थानीय पुलिस बल, स्वाट/फील्ड युनिट/डॉग स्वायड आदि टीमों के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना किरतपुर पर **मु0अ0सं0 84/23 धारा 302 भादवि बनाम अज्ञात** पंजीकृत किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शार्प इंजरी से मृत्यु होना पाया गया।

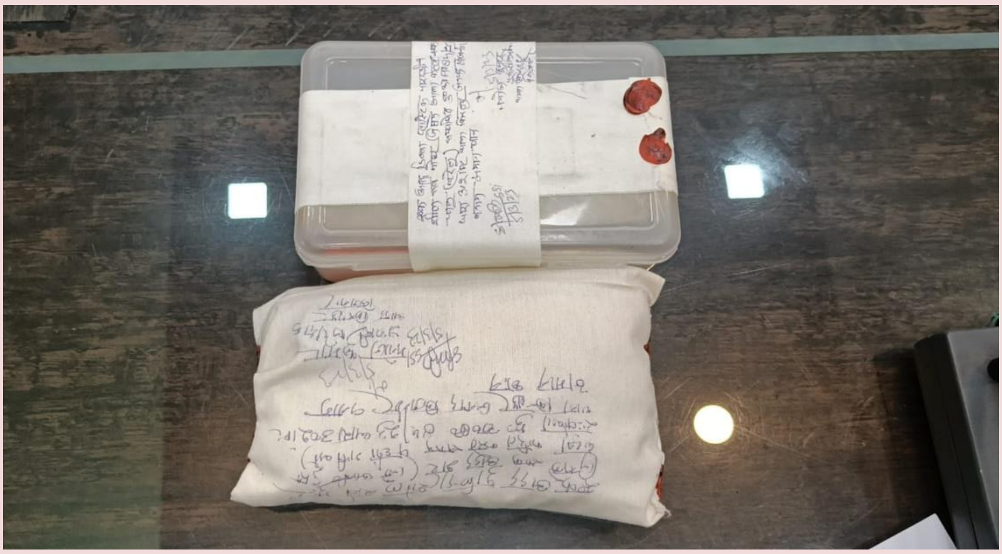

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा नाबालिग बच्ची के इस जघन्य हत्याकांड में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना किरतपुर पुलिस को निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, नगर व

क्षेत्राधिकारी, नजीबाबाद के निकट निर्देशन में आज दिनांक 05.03.2023 को विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान प्रकाश में आये अभियुक्त अमान खान (उम्र करीब 19 वर्ष) पुत्र आजाद खान निवासी मौ0 मुगलान कस्बा व थाना किरतपुर मूल निवासी कस्बा व थाना इंचौली जनपद मेरठ को किरतपुर बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल (चाकू) बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः-

अमान खान पुत्र आजाद खान हाल निवासी मौ0 मुगलान कस्बा व थाना किरतपुर जनपद बिजनौर मूल निवासी कस्बा व थाना इंचौली मेरठ

बरामदगी का विवरणः-

आला कत्ल (चाकू), पहनी हुई कमीज जिस पर खून के धब्बे लगें है।

पंजीकृत अभियोग का विवरणः-

मु0अ0सं0 84/2023 धारा 302 भादवि थाना किरतपुर जनपद बिजनौर

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया की वह कस्बा व थाना इंचौली जनपद मेरठ का मूलनिवासी है। वर्तमान में वह अपने मामा तालिब के घर मौ0 मुगलान कस्बा व थाना किरतपुर में रहता है। उसके मां बाप नही है न ही कोई भाई बहन है। वह मृतका (बच्ची) को पहले से ही जानता है तथा उसके घर भी आता जाता रहता है। मृतका (बच्ची) के बडे भाई से उसकी दोस्ती है। एक बार बच्ची के पिता ने उसको डांट फटकार भी लगायी है।

दिनांक 03.03.2023 को वह बच्ची को अपने साथ दुष्कर्म के उददेश्य से खण्डहर पडे मकान में ले गया लेकिन वहाँ मृतका (बच्ची) रोने व चिल्लानें लगी जिस पर उसने बच्ची का मुंह दबा दिया तथा अपनें पास रखे चाकू से उसकी गर्दन काट दी। घटना को अंजाम देने के बाद वह बिजनौर जाने वाले रास्ते पर बाग में जाकर छुपकर बैठ गया था। अगर वह बच्ची की गर्दन नही काटता तो मृतका अपने घर वालों को उसके बारें में बता देती, जिससे उसकी समाज व अपने मामा की नजरों में काफी बदनामी होती। अभियुक्त द्वारा बताया कि वह कभी-कभार थोडा बहुत भांग का नशा भी कर लेता है।

गिरफ्तार करनें वाली टीम का विवरणः-

थाना किरतपुरः- प्रभारी निरीक्षक श्री मनोज कुमार, व0उ0नि0 श्री श्रीपाल सिंह, उ0नि0 श्री विनोद कुमार, उ0नि0 श्री विक्रान्त कुमार, हे0का0 भारत मलिक, आरक्षी राहुल सैनी, आरक्षी भूदेव

स्वाट टीमः- उ0नि0 श्री जयवीर सिंह, उ0नि0 श्री संजय कुमार, उ0नि0 श्री शौकत अली, हे0का0 खालिद हुसैन, हे0का0 रईस अहमद, हे0का0 बेताब जावला, आरक्षी अरूण कुमार, आरक्षी मोंनू कुमार, आरक्षी सुनित कुमार, आरक्षी अनिल कुमार, आरक्षी हरेन्द्र कुमार

नोटः- घटना के 24 घण्टें के अन्दर सफल अनावरण हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, मुरादाबाद परिक्षेत्र (मुरादाबाद) द्वारा टीम को प्रोत्साहन व उत्साहवर्धन हेतु 50 हजार रूपये नगद पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की है।

थाना नांगल पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 04 अपहरणकर्ता, घटना के प्रयुक्त कार, फर्जी नम्बर प्लेट, मोटर साईकिल तथा अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार। अपहृत सकुशल बरामद।

अवगत कराना है कि दिनॉक 04.03.2023 की शाम 08:47 बजे श्री अनुज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री चन्द्रप्रकाश अग्रवाल निवासी मौ0 मजीदगंज थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा थाना नांगल पर तहरीर दी कि समय 19:30 बजे उसका भाई सौरभ अग्रवाल भट्टे पर बैठे था तभी सफेद रंग की मारूति व मोटर साईकिल यूपी 20 एए 2853 पर सवार बदमाशों द्वारा तमंचे के बल पर उसको जबरदस्ती डालकर जान से मारने की धमकी देते हुये अपहरण कर ले गये। तहरीर के आधार पर थाना नांगल पर मु0अ0सं0 24/23 धारा 364/506 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

अपहरण जैसी घटना का संज्ञान लेकर पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा तत्काल अपहृता की सकुशल बरामद किये जाने संलिप्त अभि0गण की गिरफ्तारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। आदेश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद पर्यवेक्षण में दिनॉक 04.03.2023 की रात्रि ही नांगल पुलिस द्वारा सराय आलम पुलिया के पास से चेंकिग के दौरान संदिग्ध मोटर साईकिल व मारूति कार को रोकने का प्रयास किया तो उस पर सवार बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी तथा भागने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा अपना बचाव करते हुये घेराबन्दी कर अपहृत सौरभ अग्रवाल उपरोक्त को सकुशल बरामद किया गया तथा अभि0गण 1–विशाल तोमर पुत्र चन्द्रपाल निवासी रायपुर रोड बिजलीघर के पास कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर, 2– सलीम पुत्र मौ0 शरीफ निवासी मौ0 जाफ्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद, 3– कपिल पुत्र रामकुमार निवासी मौ0 मोरीकल्लूगंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद

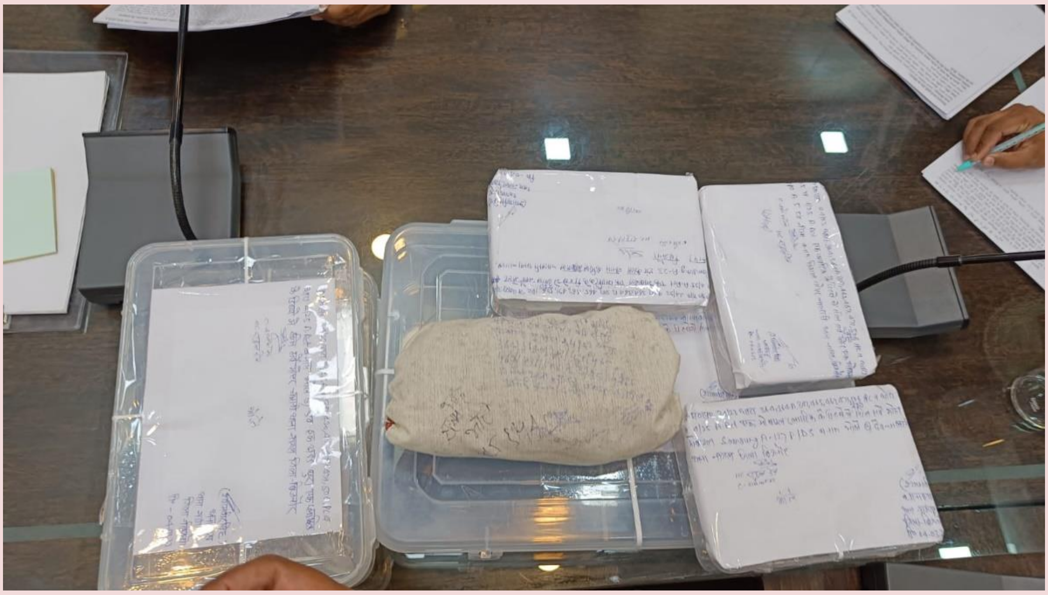

बिजनौर, 4– भोले उर्फ देव पुत्र जागन निवासी वर्फ फैक्ट्री के पास मौ0 बड़थला ग्राम नांगल जनपद बिजनौर मय मारूति 800 कार व उपरोक्त मो0 साईकिल, फर्जी नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार किया गया। तामा तलाशी के दौरान अभि0गण के कब्जे से 03 तमन्चे 315 बोर 03 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस, 02 छुरे लोहा, 01 रस्सी लाईलोन बरामद हुआ। घटना के सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग में 364ए/307/420/465/467/471 भादवि 3/25, 4/25 आर्म्स एक्ट की बृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पताः–

1–विशाल तोमर पुत्र चन्द्रपाल निवासी रायपुर रोड बिजलीघर के पास कस्बा व थाना नजीबाबाद बिजनौर,
2– सलीम पुत्र मौ0 शरीफ निवासी मौ0 जाफ्तागंज कस्बा व थाना नजीबाबाद,
3– कपिल पुत्र रामकुमार निवासी मौ0 मोरीकल्लूगंज कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर,
4– भोले उर्फ देव पुत्र जागन निवासी वर्फ फैक्ट्री के पास मौ0 बड़थला ग्राम नांगल जनपद बिजनौर

बरामदगी

1– घटना में प्रयुक्त मारूति 800 कार, एक फर्जी नम्बर प्लेट
2– घटना मे प्रयुक्त मो0 सा0 पैशन प्रो0
3– 03 तमन्चे 315 बोर 03 खोखा कारतूस व 03 जिन्दा कारतूस, 02 छुरे लोहा
4– घटना में प्रयुक्त नायलोन रस्सी।

पूछताछ में अभि0ण द्वारा में बताया कि अभियुक्त कपिल उपरोक्त अपहृत सौरभ अग्रवाल उपरोक्त चचेरा भाई है तथा कुछ ही समय पूर्व वह दहेज हत्या में 10 वर्ष की सजा काटकर जेल से छूटा था जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण कर्ज हो गया था तो उसने अपने चचेर भाई सौरभ अग्रवाल का अहरण कर 05 लाख रूपये की फिरौती मॉगने की योजना बनाई। अपहरण की घटना के लिये मारूति 800 कबाड़ी बाजार नजीबाबाद से 02–03 दिन पूर्व 28 हजार रूपये में खरीदी गयी थी। अभि0 द्वारा सलीम उपरोक्त घटना में साथ देने के लिये 10 हजार रूपये दिये थे तथा अपने दोस्त विशाल उपरोक्त से साथ मिलकर दिनॉक 04.03.2023 को योजनाबद्ध तरीके से भट्टे से सौरभ का अपहरण किया गया।

गिरफ्तारी व बरामदगी टीमः–

1– श्री श्यामवीर सिंह थानाध्यक्ष नांगल

2– उ0नि0 योगेन्द्र कुमार

3–हे0कां0 राहुल देव

4– कां0 शाने आलम

5– आरक्षी चालक राजीव थाना नांगल जनपद बिजनौर।

थाना कोतवाली शहरः- आज दिनांक 05/03/2023 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.जावेद पुत्र जाहिद निवासी तरीकमपुर उर्फ टिक्कोपुर कोतवाली शहर बिजनौर को अपराध संख्या 168/23 धारा 8 / 22 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

बिजनौर पुलिस

नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन

थाना कोतवाली शहरः- मा0मुख्यमंत्री उ0प्र0द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन के लिये चलाए जा रहे अभियान मिशन शक्ति के अन्तर्गत थाने पर गठित पुलिस टीम द्वारा अपने थाना क्षेत्र में बालिकाओं/छात्राओं को मिशन शक्ति अभियान के सम्बन्ध में जागरूक किया गया तथा हेल्पलाईन नम्बर **102, 108, 112, 181, 1076, 1098, 1090** की जानकारी दी गई। इस दौरान सडकों पर तथा स्कूल/कॉलेजों के आसपास बेवजह घूम रहें मनचलों पर शिकंजा कसा गया।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर के निर्देशन में #MissionShaktiकार्यक्रम के अन्तर्गत #BijnorPoliceके समस्त थानों पर स्थापित #महिला_हेल्प_डेस्कपर महिला फरियादियों की समस्या सुनते हुए महिला पुलिसकर्मी।

महिला थाना
बिजनौर
शक्ति